राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—2753 / 2024

तरूण कुमार जैन

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, अलवर।
3. ERO, ACEM (Assistant Collector) अलवर सिटी, अलवर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 06.09.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गयी थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 11.03.2024 को मध्याह्न पूर्व कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यलय निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसीईएम) अलवर, अलवर शहर में कार्य ग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी उसके पश्चात नियमित रूप अपनी उपस्थिति विभाग में दे रहा है, परन्तु अपीलार्थी को कार्य ग्रहण की दिनांक के पश्चात अभी तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
4. हम पाते है कि अपीलार्थी को कार्य ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रकरण द्वारा पत्र दिनांक 11.03.2024 के जरिये सूचना जिला कलेक्टर महोदय अलवर को भेजी गयी है। उपरोक्त पत्र से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने दिनांक 11.03.2024 को कार्य ग्रहण किया था। अपीलार्थी के कार्य ग्रहण के पश्चात अपीलार्थी को वेतन का भुगतान किये जाने की जिम्मेदारी प्रत्यर्थी विभाग की थी, जो जिम्मेदारी प्रत्यर्थी

विभाग द्वारा अभी तक पूरी नहीं की गयी है। अतः इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी को उसके कार्य ग्रहण करने के पश्चात उसके द्वारा दी गयी हाजरी को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार बकाया का भुगतान किया जाए एवं अपीलार्थी को भविष्य में भी वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया जायें। इस आदेश की पालना 1 माह में सुनिश्चित की जायें।

5. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)